

राजस्थान विधान सभा

चतुर्थ सत्र

कार्य-सूची

गुरुवार, दिनांक 09 अप्रैल, 2015

बैठक का समय-प्रातः 11.00 बजे

1. सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि

वार्षिक प्रतिवेदन

- (I) श्री कालीचरण सराफ, उच्च शिक्षा मंत्री, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा अधिनियम, 2003 की धारा-43 के अन्तर्गत कोटा विश्वविद्यालय, कोटा का वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन वर्ष 2014-2015 सदन की मेज पर रखेंगे।
- (II) श्री पुष्पेन्द्र सिंह, ऊर्जा राज्यमंत्री, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा-104(4) के अन्तर्गत राजस्थान विद्युत नियामक आयोग के 31 मार्च, 2013 को समाप्त हुए वर्ष का भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पृथक अंकेक्षण प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखेंगे।

2. विधायी कार्य

(क) विचारार्थ लिये जाने वाले विधेयक

(I) राजस्थान विरासत संरक्षण विधेयक, 2015

- (I) श्री राजपाल सिंह शेखावत, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि निम्नांकित विधेयक को विचारार्थ लिया जाय:-
- राजस्थान विरासत संरक्षण विधेयक, 2015
(2015 का विधेयक संख्या-18)
- "राजस्थान राज्य में विरासत आस्तियों की पहचान, प्रलेखीकरण, संरक्षण और विनियमन के लिये तथा इससे संसक्त और आनुषंगिक विषयों के लिये उपबन्ध करने के लिये विधेयक।"
- (संशोधन प्रस्ताव यदि कोई होंगे तो प्रस्तुत किये जायेंगे)
- (II) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाय।

(II) आर.एन.बी. ग्लोबल विश्वविद्यालय, बीकानेर विधेयक, 2015

- (I) श्री कालीचरण सराफ, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि निम्नांकित विधेयक को विचारार्थ लिया जाय :-
- आर.एन.बी. ग्लोबल विश्वविद्यालय, बीकानेर विधेयक, 2015
(2015 का विधेयक संख्या-19)
- "राजस्थान राज्य में आर.एन.बी. ग्लोबल विश्वविद्यालय, बीकानेर की स्थापना और निगमन के लिये और उससे संसक्त और आनुषंगिक विषयों के लिये उपबन्ध करने के लिये विधेयक।"
- (संशोधन प्रस्ताव यदि कोई होंगे तो प्रस्तुत किये जायेंगे)
- (II) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाय।

(III) राजस्थान डायन-प्रताड़ना निवारण विधेयक, 2015

- (I) श्रीमती अनिता भदेल, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगी कि निम्नांकित विधेयक को विचारार्थ लिया जाय:-

राजस्थान डायन - प्रताड़ना
निवारण विधेयक, 2015
(2015 का विधेयक संख्या-20)

"राजस्थान राज्य में डायन - प्रताड़ना के संत्रास पर काबू पाने के लिये प्रभावी उपाय करने और राज्य में डायन वृत्ति की प्रथा का निवारण करने तथा इससे संसक्त एवं आनुषंगिक विषयों के लिये उपबन्ध करने के लिये विधेयक।"

(संशोधन प्रस्ताव यदि कोई होंगे तो प्रस्तुत किये जायेंगे)

- (II) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगी कि विधेयक को पारित किया जाय।

(IV) राजस्थान राज्य बस टर्मिनल विकास प्राधिकरण विधेयक, 2015

- (I) श्री यूनस खान, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि निम्नांकित विधेयक को विचारार्थ लिया जाय:-

राजस्थान राज्य बस टर्मिनल
विकास प्राधिकरण विधेयक,
2015
(2015 का विधेयक संख्या-22)

"अधिसूचित बस टर्मिनलों पर सुविधाओं के सृजन, विकास और प्रचालन के लिये और राजस्थान राज्य बस टर्मिनल विकास प्राधिकरण के गठन के लिये और उससे संसक्त या आनुषंगिक विषयों के लिये उपबन्ध करने के लिये विधेयक।"

(संशोधन प्रस्ताव यदि कोई होंगे तो प्रस्तुत किये जायेंगे)

- (II) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाय।

(V) राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2015

- (I) श्री राजेन्द्र राठौड़, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि निम्नांकित विधेयक को विचारार्थ लिया जाय:-

राजस्थान विधान सभा
(अधिकारियों तथा सदस्यों की
परिलब्धियां और पेंशन)
(संशोधन) विधेयक, 2015
(2015 का विधेयक संख्या- 23)

"राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1956 को और संशोधित करने के लिये विधेयक।"

(संशोधन प्रस्ताव यदि कोई होंगे तो प्रस्तुत किये जायेंगे)

- (II) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाय।

(ख) पुनर्विचारार्थ लिया जाने वाला विधेयक

राजस्थान राज्य राजमार्ग विधेयक, 2014

- (I) श्री यूनस खान, प्रभारी मंत्री राज्यपाल महोदय द्वारा संविधान के अनुच्छेद-200 के प्रथम परन्तुक के अन्तर्गत लौटाये गये निम्नांकित विधेयक पर पुनर्विचार करने का प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे:-

राजस्थान राज्य राजमार्ग
विधेयक, 2014
(2014 का विधेयक संख्या-20)

"राज्य राजमार्गों की घोषणा, विकास, प्रचालन, सुरक्षा और विनियमन, और उससे अनुलग्न भूमि के उपयोग, राजमार्गों और अन्य सड़कों के लिए भूमि का अर्जन, राजस्थान राज्य राजमार्ग प्राधिकरण का गठन और उससे संसक्त या आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने के लिए विधेयक।"

(संशोधन प्रस्ताव यदि कोई होंगे तो प्रस्तुत किये जायेंगे)

- (II) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पुनः संशोधित रूप में पारित किया जाय।

पृथ्वी राज
विशिष्ट सचिव

विधान सभा भवन,
जयपुर ।
दिनांक : 08 अप्रैल, 2015

नोट :- प्रश्नकाल नहीं होगा । शून्यकाल होगा ।